P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

शिक्षा के सार्वभौमीकरण की योजना का समीक्षात्मक अध्ययन

सुभाष चन्द्र तिवारी
पूर्व अध्यक्ष,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत
विश्वविद्यालय,
वाराणसी, उ.प्र., भारत

मुन्नू पाल
शोधार्थी,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत
विश्वविद्यालय,
वाराणसी, उ.प्र., भारत

सारांश

सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है जन–जन को शिक्षित करना। सार्वभौमीकरण का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, सार्वभौमिक ठहराव, शैक्षिक सुविधाओं की गुणवत्तापरक सुलभता एवं पर्याप्त विद्यालय उपलब्धि से है।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए देश में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक योजनाओं का गठन किया गया जिसमें प्रमुख हैं–

1. आपरेशन ब्लैक बोर्ड।
2. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।
3. मध्यान भोजन योजना।
4. शिक्षाकर्मी योजना।
5. लोक जुम्बिश परियोजना।
6. शिक्षा गारंटी योजना।
7. जनशाला।
8. वैकल्पिक एवं नवचारी शिक्षा आदि।

मुख्य शब्द : सार्वभौमीकरण , प्रारम्भिक शिक्षा, आपरेशन ब्लैक बोर्ड ।

प्रस्तावना

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कियाा गया है। 1992 में संशोधित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, में संकल्प व्यक्त किया गया है कि 21 वीं शताब्दी के शुरू होने के पहले देश में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य तथा गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषजनक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। नवीं पंचवर्षीय योजना में सबके लिये प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं–

1. सार्वभौम पहुँच
2. सार्वभौम नामांकन
3. सार्वभौम धारण

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भारत में साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं। 1951 से साक्षरता की दर 18.33 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर 64.84 प्रतिशत हो गयी। यह स्थिति इस बात के बावजूद है कि पिछले 5 दशकों के अधिकांश भाग में जनसंख्या में लगभग 2 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी हमारे राष्ट्र के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण निरक्षरता ही है। साक्षरता दर में हम दुनियाँ में बहुत पिछड़े हुए हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, जिला सूचना प्रणाली द्वारा देश के सभी जिलों से वर्ष वार प्रारम्भिक स्कूल आँकड़े एकत्र करता है। जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 6–14 वर्ष आयु समूह के बच्चों के नामांकन के सम्बन्ध में बालक–बालिका और सामाजिक श्रेणियों की अलग–अलग सूचना शामिल होती है। वर्ष 2006–07 के लिए प्रारम्भिक स्तर पर कुल पंजीयन 17,93,42,817 बच्चे दर्शाये गए हैं जिनमें 8,54,97,566 बालिकाएं 3,56,50,42,533 अनुसूचित जाति, 1,91,70,3,68 अनुसूचित जनजाति, 7,51,721 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1,59,50,533 मुस्लिम वर्ग के बच्चे हैं।

बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश आदि राज्यों में आधे से ज्यादा महिलाएं आज भी अनपढ़ हैं। आदिवासी इलाकों और दूरदराज एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत औरतें आज भी निरक्षर हैं। देश का प्रत्येक वासी

अक्षर ज्ञान के साथ–साथ रचनात्मक अभियानों में बढ़–चढ़कर भाग लें तभी हम उस व्यक्ति या महिलाा को पूर्ण साक्षर कह सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे आठ प्रमुख कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम शिक्षा का सार्वभौमीकरण को शामिल किया गया है।

शोध की समस्या

शिक्षा के सार्वभौमीकरण की योजना का समीक्षात्मक अध्ययन (वाराणसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

प्रयुक्त चरों की परिभाषा

शिक्षा

शिक्षा से तात्पर्य है– बालक का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक, धार्मिक आदि बातें शामिल हैं।

सार्वभौमीकरण

सार्वभौमीकरण शब्द यूनिवर्सल शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है जिसका अर्थ है सबका अथवा सबके लिए। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है देश के सभी बालकों को यह शिक्षा सुलभ हो। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संविधान की 45 वीं धारा में कहा गया है कि ''राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर 6–14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का उत्तरदायित्व लेगा।'' संविधान की इस धारा से स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य सार्वभौम होना चाहिए। अर्थात् राष्ट्र का प्रत्येक बालक शिक्षा प्राप्त करेगा।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व

सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है। आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का इतिहास भारत में ब्रिटिश शासन काल से प्रारम्भ होता है। प्राथमिक शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयास मिशनरियों द्वारा किये गये थे। सन् 1911 में गोखले ने केन्द्रीय धारा सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिससे प्रेरणा लेकर पहले मुम्बई और फिर दूसरे प्रान्तों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किये गये। 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तो 10 वर्ष के अन्दर 6–14 वर्ष के सभी बालक–बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा व्यवस्था किये जाने की आशा प्रकट की गयी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) लागू होने के बाद से केन्द्र और राज्य सरकारें प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार एवं विकास के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रही हैं। सन् 1966 तक 6–11 वर्ष आयु वर्ग के 74.5 प्रतिशत बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो चुकी थी। 1977–78 में इस आयु वर्ग के विद्यालयों की संख्या बढ़ायी गयी तथा नामांकन संख्या भी क्रमशः बढ़ती गयी फिर भी बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से यह स्थिति आशाजनक नहीं रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1977 से यह पता चलता है कि 1986 के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के विकास की गति धीमी होने लगी इसका कारण यह भी हो सकता है कि सरकार के पास धन खर्च करने की कमी हो तथा बढ़ती हुई छात्र संख्या के अनुरूप विद्यालयों की संख्या में वृद्धि न हुई हो इस कारण प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण संभव न हो सका।

भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की आवश्यकता और महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि सन् 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या में से 65.38 प्रतिशत लोग साक्षर थे तथा 34.62 प्रतिशत लोग निरक्षर थे। निरक्षता से अंधविश्वास और रूढ़िवादिता बढ़ती है। इन बुराईयों से छुटकारा पाने के लिए तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार अति आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से केन्द्रीय सरकार ने समितियाँ बनायी और उनके व्यय के आकलन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसी योजना के अन्तर्गत तमस मजूमदार समिति ने 1997 से सन् 2002 की अवधि में सबकी प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुमोदित राशि 137000 करोड़ रूपये की आवश्यकता बतलायी। सरकार ने यह स्वीकार किया कि यद्यपि सन् 2005 तक वह अपने लक्ष्य को पूरा नही कर सकी फिर भी वह अपने विभिन्न उपायों के माध्यम से 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी। सरकार के प्रयास, उसके कार्यान्वयन एवं उपलब्धि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध की योजना बनायी गयी ताकि यह देखा जा सके की सफलता कितने अंशों तक हुई एवं कितने अंशों तक नहीं हो सकी तथा सफलता न होने के कारण क्या हैं? इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये–

शोध के उद्देश्य

1. सार्वभौमीकरण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों का शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में व्यवस्था का आकलन करना।
2. शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना।
3. शिक्षा के सार्वभौमीकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना।
4. शिक्षा के सार्वभौमीकरण की धीमी प्रगति के विभिन्न कारणों का पता लगाना तथा उनके समाधान के स्वरूप का विश्लेषण करना।
5. शिक्षा के सार्वभौमीकरण के विभिन्न लाभों की समीक्षा करना।
6. सार्वभौमीकरण की सफलता के लिए विभिन्न सुझावों को प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

1. शिक्षा का सार्वभौमीकरण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों में शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयी स्तर पर कोई अन्तर नहीं है।
2. विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाओं में शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय स्तर पर कोई अन्तर नहीं है।
3. शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास हेतु शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयी स्तर पर समान रूप से कार्यक्रमों का संचालन होता है।
4. शिक्षा के सार्वभौमीकरण में आने वाली बाधाओं का कारण शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयी स्तर पर अन्तर नहीं है।

5. शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ समान रूप से प्राप्त हो रहा है।
6. शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयी स्तर पर बच्चों के शैक्षिण गुणवत्ता में अन्तर नहीं होना चाहिए।
7. शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयी स्तर पर बच्चों के शैक्षिक सुविधाओं में अन्तर नहीं होना चाहिए।
8. शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों के मध्य शिक्षा के प्रति एकरूपता पायी जायेगी।

अध्ययन विधि एवं उपकरण

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया, जो निम्न प्रकार से है–

1. प्राथमिक स्तर के छात्रों के अभिभावक हेतु प्रश्नावली।
2. प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु साक्षात्कार अनुसूची।

अध्ययन का सीमांकन

शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक राष्ट्रीय समस्या है फिर भी शिक्षा के सार्वभौमीकरण के मार्ग मे अनेक स्थानीय समस्यायें भी कारण रहती हैं। अतः शोध की सार्थकता के लिए भौगोलिक क्षेत्र विशेष का चयन किया गया इसके लिए वाराणसी जनपद का चयन किया गया। वारणसी जनपद में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, आँगनवाड़ी कार्यक्रमों एवं सार्वभौमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों का सर्वेक्षण कर विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी आंकड़ों का संकलन किया गया।

शोध की अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सर्वेक्षण विधि से किसी भी क्षेत्र की तात्कालिक परिस्थिति की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चूँकि सर्व शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक विस्तृत योजना है अतः प्रस्तुत शोध हेतु सर्वेक्षण विधि द्वारा उपयुक्त आंकड़े शुद्धता के साथ एकत्र किए जा सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

अध्ययन हेतु जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में अध्ययन हेतु वाराणसी परिक्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों मे पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक एवं विद्यालयो में पढ़ाने वाले अध्यापकों का चयन किया गया है।

न्यायदर्श

प्रस्तुत अध्ययन में यादृच्छिक विधि द्वारा वाराणसी क्षेत्र के 10 ग्रामीण एवं 10 शहरी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया।

सारिणी में चयन किये गये विद्यालय के शिक्षक–शिक्षिकाओं की संख्या दी गयी एवं उन्हीं विद्यालय के छात्रों के अभिभावक को भी इस अध्ययन में शामिल किया है–

ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय–

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	शिक्षक संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय, हरहुआ	6
2.	प्राथमिक विद्यालय, अराजी लाइन	6
3.	प्राथमिक विद्यालय, तरना	5
4.	प्राथमिक विद्यालय, वीरापट्टी	6
5.	प्राथमिक विद्यालय, आयर	6
6.	प्राथमिक विद्यालय, रामरायपुर	5
7.	प्राथमिक विद्यालय, कोरौता	7
8.	प्राथमिक विद्यालय, लोहता	6
9.	प्राथमिक विद्यालय, चोलापुर	7
10.	प्राथमिक विद्यालय, चमाव	6
	योग	**60**

शहरी क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	शिक्षक संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय, शिवपुर	6
2.	प्राथमिक विद्यालय, नदेसर	5
3.	प्राथमिक विद्यालय, महमूरगंज	6
4.	प्राथमिक विद्यालय, कबीरचौरा	7
5.	प्राथमिक विद्यालय, मछोदरी	6
6.	प्राथमिक विद्यालय, भेलुपुर	6
7.	प्राथमिक विद्यालय, लंका	6
8.	प्राथमिक विद्यालय, आशापुर	6
9.	प्राथमिक विद्यालय, चौकाघाट	6
10.	प्राथमिक विद्यालय, राजघाट	6
	योग	**60**

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में स्वनिर्मित 'अभिभावक साक्षात्कार अनुसूचि' एवं अध्यापक साक्षात्कार अनुसूचि, का प्रयोग किया गया।

शोध प्रक्रिया

प्रयुक्त शोध अध्ययन वाराणसी जनपद के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के अभिभावकों पर किया गया है। इसमें कुल 120 अध्यापक एवं 200 अभिभावकों को सम्मिलित किया गया है। प्रयुक्त शोध में चयनित प्राथमिक विद्यालयों में जाकर वहाँ के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या से मिलकर शोध अध्ययन का उद्देश्य बताया गया फिर जिन अध्यापक–अभिभावकों ने स्वेच्छा पूर्वक भाग लेना चाहा उन्हें एक स्थान पर बैठकर शोध में प्रयुक्त अनुसूची की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गयी। इसके पश्चात् उन्हे एक समूह में अनुसूची की एक पुस्तिका दी गयी जिसमें विद्यालय से सम्बन्धित प्रश्न थे।

उपरोक्त अनुसूचियों के प्रशासन में यह ध्यान रखा गया कि हर अनुसूची को देने से पूर्व उससे सम्बन्धित निर्देशों को भली प्रकार समझा दिया जाय। इस प्रकार अनुसूचियों पर प्रत्युत्तर प्राप्त करने के पश्चात् सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देकर छोड़ दिया गया। इस प्रकार प्रदत्त संग्रह का कार्य पूर्ण किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रयुक्त शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–मूल्य प्राप्त किया गया जिसमें ग्रामीण और शहरी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक एवं उनमें पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक सम्मिलित थे।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन ''शिक्षा के सार्वभौमीकरण की योजना का समीक्षात्मक अध्ययन'' पर ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर शिक्षकों एवं अभिभावकों से 'अभिभावक साक्षात्कार अनुसूची' एवं अध्यापक साक्षात्कार अनुसूची' पर आँकड़ों को लेकर विश्लेषित किया गया।

जिसके परिणाम निम्नलिखित मिलेंः–

अभिभावक

1. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों के संदर्भ में ग्रामीण अभिभावक शहरी अभिभावकों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि ग्रामीण अभिभावकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव रहता है, जबकि शहरी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावक ज्यादा जागरूक होते हैं अतः वे इसका लाभ उठाते हैं। शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों में अभिभावकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
2. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर चलाये जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाओं में ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। जिसका तात्पर्य है कि सरकारी योजनाएँ दोनों क्षेत्रों में सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। जिसका कारण यह है कि ये योजनाएं ग्रामीण विद्यालयों तक तो पहुँच रहीं हैं किन्तु इन योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारू रूप नहीं हो पा रहा है।
3. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर समान रूप से चलाये जा रहे कार्यक्रमों के संदर्भ में प्राप्त परिणाम से स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों को कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचनाएं समान रूप से प्राप्त नहीं होती हैं। अतः दोनों क्षेत्र के अभिभावकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
4. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास में आने वाली बाधाओं के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास में आने वाली बाधाएँ समान रूप से हैं। इनमें ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर कोई अन्तर नहीं है।
5. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के अभिभावकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह है कि नियम तो बन जाते हैं किन्तु उनका कठोरतापूर्वक पालन नहीं हो पाता है। चूंकि शहरी जनता ज्यादा जागरूक और अपने अधिकारों को जानने वाली है, अतः वे इसका लाभ ले पाते हैं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, बेरोजगारी तथा सूचनाओं के अभाव की वजह से अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं, फलतः लाभ से वंचित रहे जाते हैं।
6. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र, शहरी छात्रों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का उचित वातावरण है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभाव रहता है, जिससे बच्चे, अभिभावक तथा शिक्षक सभी अरूचि दिखाते हैं परिणामस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में अभिभावकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
7. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर बच्चों की सुविधाओं के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया, जिसका कारण यह है कि शहरी छात्रों को ग्रामीण छात्रों की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जैसे– बिजली, मनोरंजक शिक्षा, कम्प्यूटर आदि जबकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्र शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से शहरी छात्रों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित हैं।

ख. अध्यापक

1. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों के संदर्भ में ग्रामीण अध्यापक शहरी अध्यापकों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि शहरी अध्यापक सरकारी कार्यक्रमों का अधिक लाभ उठा पाते हैं जबकि ग्रामीण अध्यापकों को पर्याप्त जानकारी न होने के कारण वे इससे वंचित रह जाते हैं। फलतः शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर अध्यापकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
2. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर चलाये जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाओं में ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। जिसका तात्पर्य है कि सरकारी योजनाएँ दोनों क्षेत्र के अध्यापकों को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त है। जिसका कारण यह हैं कि उचित सरकारी नीति के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहते जबकि शहरी क्षेत्र के अध्यापकों को समान कार्य करते हुए भी अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं जैसे–एच. आर.ए., आवागमन की सुविधा आदि। जिसके कारण वे ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की अपेक्षा ज्यादा लाभ उठाते हैं।
3. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर समान रूप से चलाये जा रहे कार्यक्रमों के संदर्भ में प्राप्त परिणाम से स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों को कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी समान रूप से नहीं है। दोनों क्षेत्र के अध्यापकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया, जिसका कारण यह हो सकता है कि सरकारी योजनाओं के बारे में शहरी अध्यापक अत्यधिक जागरूक रहते हैं अपेक्षाकृत ग्रामीण अध्यापकों के।
4. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास आने वाली बाधाओं के संदर्भ में शहरी एवं

ग्रामीण अध्यापकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास में आने वाली बाधाएँ समान रूप से नहीं है क्योंकि ग्रामीण अध्यापकों के समक्ष बहुत सारी समस्यायें आती हैं जैसे–बच्चों का विद्यालय कम आना, बच्चों का कृषि कार्यों में हाथ बंटाना, अध्यापकों के घर से विद्यालय की दूरी अधिक होना, आवागमन के साधनों का अभाव आदि जबकि शहरी क्षेत्र के अध्यापकों के समक्ष ये समस्याएं गौण रहती हैं।

5. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान रूप से मिल रहा है।
6. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक, शहरी क्षेत्र के अध्यापकों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के अध्यापक पढ़ाने–लिखाने में कम रूचि रखते हैं इसका कारण यह हो सकता है कि शिक्षाधिकारियों के पहुँच गाँवों में कम हो पाती है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र पढने में कम रूचि रखते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षाधिकारियों के डर से तथा अभिभावकों एवं छात्रों के जागरूक होने के कारण यहाँ शैक्षिक गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता है। यही कारण है कि शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता में सार्थक अन्तर पाया गया।
7. शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर बच्चों के सुविधाओं के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को शैक्षिक सुविधाएँ शहरी अध्यापकों की भाँति प्राप्त हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किया जा सकता है।
2. विद्यालय में अपहराह्न सत्र में छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के उपाय खोजे जा सकते हैं।
3. विद्यालय में विकास योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
4. छात्रों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों का सहयोग किया जा सकता है।
5. शिक्षण पद्धतियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार का हो, सुनिश्चित किया जा सकती है।
6. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अलग से शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।
7. विद्यालय में कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के नये तरीके सृजित किये जा सकते हैं।
8. विद्यालयी ससाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है।
9. शिक्षकों का गुणात्मक विकास किया जा सकता है।
10. अभिभावक–शिक्षक संघ को प्रभावी बनाया जा सकता है।
11. सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों से जनता को परिचित कराया जा सकता है।
12. विद्यालयी शिक्षा को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जा सकता है।

भावी शोध हेतु सझाव

प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित परिणाम एवं निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए इस अनुसंधान क्षेत्र में शोध कार्य करने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं–

1. वर्तमान शोध प्रबन्ध का कार्य क्षेत्र केवल वाराणसी जनपद तक सीमित था, इसे वाराणसी मण्डल अथवा सम्पूर्ण प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर उचित अनुसंधान विधि एवं प्रारूप को अपनाते हुए शोध हेतु सुझाव दिये जा सकते हैं।
2. प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमीकरण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की तुलना अध्यापक एवं अभिभावकों को दृष्टिगत रखकर की गयी है। इसे शिक्षक–शिक्षिकाएं, माता–पिता आदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में वाराणसी जनपद के केवल परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, इसे प्राइवेट स्कूल तथा सरकारी स्कूलों के मध्य तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध प्रबन्ध प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर आधारित था। यह माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शोध का आधार बन सकता है।
5. प्रस्तुत अध्ययन को अन्तर सांस्कतिक दृष्टिकोण से विभिन्न चरों को दृष्टिगत रखकर भी किया जा सकता है।
6. प्रस्तुत अध्ययन को बड़ी संख्या में न्यायदर्श लेकर किया जा सकता है।

आशा है कि उपरोक्त सुझावों पर अमल किए जाने से निश्चित रूप से इस अभियान में बेहतर परिणाम हेतु मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि इन सभी सुझावों पर एक साथ और एक समय में अमल किया जाना व्यवाहरिक दृष्टि से संभव नहीं होगा लेकिन एक सुनियोजित, सुनिश्चित योजना के अंतर्गत एक व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार कर उसे पूरी निष्ठा, तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

कल्पना शर्मा (2005) प्राथमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण, भारतीय शिक्षा शोध शोध पत्रिका, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली।

कपिल, एच.के (2001) अनुसंधान विधियाँ भार्गव बुक हाउस आगरा।

कोहली, विजय कुमार (1975), भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्याएं, कृष्णा ब्रदर्स, चौक अड्डा टाडा, जालन्धर।

कौल, लोकेश (1964) शिक्षा अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली।

केलिस, जे.एम. (2005), किण्डरगार्टेन विद्यालयों में उपलब्ध विद्यालय सुविधा का सर्वेक्षण, डिजर्टेशन एब्स्ट्रेक्ट इंटरनेशनल वॉल्यूम 19।

बेस्ट, जे. डब्लू (1986), रिसर्च इन एजूकेशन, प्रिन्टिश हाल, न्यू जर्सी।

राय, पारसनाथ (1977), अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।

नायक, जे.पी. (1982), दी एजुकेशन कमीशन एण्ड आफ्टर, एलाइड पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

पाण्डेय, रामशकल एवं मिश्र, करूणाशंकर (1990), भारतीय शिक्षा की ज्वलंत समस्याएं, वोहरा पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

सिंह अशोक कुमार (1991), प्राथमिक शिक्षा का विकास . एवं समस्याएं, पी–एच.डी. शोध प्रबन्ध, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

चौबे, सरयु प्रसाद एवं अखिलेश (1997, भारत की आधुनि शिक्षा का इतिहास और समस्याएं, भवदीय प्रकाशन, श्रृंगारहाट, अयोध्यक्ष, फैजाबाद।

सारस्वत मालती एवं गौतम, एल.एल, भारतीय शिक्षा का विकास, आलोक प्रकाशन, लखनऊ।

पाठक, पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2 जौहरी, बी.पी. एवं पाठक, पी.डी., भारतीय शिक्षा का इतिहास, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा–2

लाल रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा की समस्याएं, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा–2 अग्रवाल, जे.सी. (1987), राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के क्रियान्वयन के संदर्भ में भारतीय शिक्षा की समस्याएं, अजय प्रिन्टर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली।

अदावल सुबोध एवं उनियाल, माधवेन्द्र (1974), भारतीय शिक्षा की समस्याएं एवं प्रवृतियाँ, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ।

ऑबराय, ए.सी. (1995), शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन एवं परामर्श, लायल बुक डिपो, मेरठ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2005–06), एनुअल रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एलीमेंट्री एजूकेशन एण्ड लिटरेसी, नई दिल्ली, मानव विकास मंत्रालय।

न्यूपा (2006), एलीमेंट्री एजूकेशन इन इण्डिया, प्रोग्रेस इन इण्डिया, प्राग्रेस टुवर्ड्स

यू.ई.ई., फ्लैश स्टैटिस्टिक्स, डी.आई.एस.ई. नई दिल्ली, न्यूपा।

यूनेस्को (2007) एजूशन फॉर ऑल : द क्वालिटी इन इम्पोरेटिव पेरिस, यूनेस्को। बुच.एम.वी. (1991), फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, एन.सी.ई. आर.टी. नई दिल्ली।

बेस्ट, जे.डब्ल्यू. (1963) , रिसर्च इन एजूकेशन, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया प्रा.लि. नई दिल्ली।

तिमूथी, सेनन ग्रीब्ज (2001), लोवा के पब्लिक स्कूलों में 3 से 4 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जाने वाली पूर्व बाल्याकलीन शिक्षा के कार्यक्रम की विशेषताओं का अध्ययन, डिजर्टेशन, एब्स्ट्रेक्ट, इण्टरनेशनल वॉल्यूम 1511।

विनीता गुप्ता (2002), क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजूकेशन : एक केश स्टडी ऑफ अछनेरा ब्लॉक, आगरा डी. ई.आई. (डीम्ड यूनीवर्सिटी), आगरा।

कमलेश कुमार (2004), भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सम्बन्धी एक सर्वेक्षण, डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट, नेशनल, वॉल्यूम, 49।

सरन प्रसाद (2004), एम.एड. के लघु शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत, आगरा, नगर के परिषदीय प्राथमिक पाठशालाओं में भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन, डी.ई.आई. (डीम्ड यूनीवर्सिटी), आगरा।

पी.ए. विट्टी (1948) प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताओं का मूल्यांकन, शैक्षिक अनुसंधान का विकास, कार्यालय प्रतिवेदन ए.एफ.ए.पृ. 198, मूलतः शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोष में उद्घृत डब्ल्यू. एस. मोनरो, 1941 पृ. 1448।

हेल एवं एम. लूईस और वासवर्न, कार्लिटन (1962), प्रभावशाली शिक्षक में ब्रॉकलेन महाविद्यालय का अनुसंधान, दैनिक पत्र पृ. 347–351।

डी.जी. रियांस (1963), शिक्षक व्यवहार और निर्देशन का निर्धारण, शैक्षिक अनुसंधान की पुनरावृत्ति।

आर.सी. गुप्ता (1975) व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा प्रभावी शिक्षकों का निर्धारण, पी. एच.डी. थीसीस, का.हि. वि.वि.।

द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, प्राइमरी एजूकेशन इन इण्डिया, एलाइड पब्लिसर्स नई दिल्ली 1997।

सदगोपाला अनिल (2009) शिक्षा अधिकार विधेयक पर सवाल, सामयिक वार्ता आकाशवाणी नई दिल्ली।

एजूकेशन–ए हिस्टोरीकल सर्वे राजर्षि टण्टन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद पृष्ठ 17–41, 1993।

Chickermane, D.V. (1962). "A Study of the wastage in Primary Education in India; Eudcation and Psychology Review, 2,1,19-21, January.

Chowdhury, P. (1965), Report of an Investigation into the Problems of Wastage and Stagnation in the primary schools in the District of 24 Praganas, Calcutta : Directorate of Education, Government of West Bengal.

Dr. Bakhtiar Choudhary, DR. Vijay Rao, S. Suneetha (2004) Cardiovacular Reactivity During Teaching: A Emerging occupational stress in school teachers. Paper presented at the 54th National Conferenec-IAOH. Kochi.

Fouts, Jeffery, T. (1987), Seattle Pacific U, WA) High School social studies classroom envirometns and attitudes: A cluster analysis approach. Theory & Research in social education, vol 15(2), 105-14.

Kundu, R. and Chakravarty, P.K. (1977), "Westagre in Primary Schools: A Psychological study". Indian Educational Review, 12, 2, 87-94, April.

Maxwell William S, (1987) Child Guidance Ctr, Castle Douglas, Scotland) Teachers attitude towards dispruptive behavior in secondary

schools, Educational Review, vol 39(3), 203&216.

Naik J.P. (1941), Report on Wastage and Stagnation in Primary schools, Bombay: Provinicial Bond of Education.

Naik J.P. (1961), Elementry Education in India: The Unfinished Business Delhi : Asia Publication House.

Naik, J.P. (1976), Elementry Education in India: A promise to keep , New Delhi : Allied Publicatioin.

National Council of Educational Research and Training (1967), waste and stagnation in primary and Middle Schools in India, New Delhi : NCERT.

Parulekar, R.V. (1939), Literacy in India, Bombay : Macmillan.

Rawat, D.S. and Goyal, B.R. (1974), Educational wastage at Primary Level-A Handbook of Suggestions, News Delhi.

Sharma, R.C. (1983), "Impact of Non-detention on Scholastic Achievment; EPA Bulletin, 6,1,23-28 April.

Sharma R.C. and Shapra, C.L. (1969), Wastage and Stagnation in Primary and Middlle Schools in India, New Delhi, NCERT.